


कार P.O. का...
पञ्चरत्न से पञ्चरत्न अखिल भारतीय मंत्रालय के
दिनांक 23/7/2018 को पेश करें।

आज्ञा की


रीडर
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गुलाबपुरा

28/5/2018

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट सरैरी पर पेश हुई। वादीया श्रीमति माया देवी उपस्थित है। जिनके द्वारा कथन किया गया कि मेरे नाम पर सामलाती छाते में भूमि दर्ज है, जिसका बटवाडा करवाने के लिये मेने दावा पेश किया था, हम छातेदारों के मध्य आपसी सम्झौता हो जाने से हम छातेदार आपसी सम्झौता के अनुसार स्वेच्छिक बटवाडा करवाना चाहते है। इसलिये इस प्रकरण की कार्यवाही बन्द फरमाई जाये।

मेने उपस्थित वादीया को सुना। जिनके द्वारा स्वेच्छिक रूप से बटवाडा करवाना चाहने से इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं कराना आज मेरे समक्ष जाहिर किया जाने से इस प्रकरणा की कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफततर करे। आदेश आज दिनांक 28/5/2018 को छुली लोक अदालत कैम्प कोर्ट सरैरी पर सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा



वादपत्र
बालिंग

1- श्री
हुरडा रि

2- श्री
हुरडा रि

3- मु0
हुरडा रि

4- रा
भीलवाड

महोदय

वादपत्र

1- यह
व प्रति
नंबर 5
543 र
किता 0